न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 28 / 2018 (अपील)
जीसीएमएस नं0–2018 / 00103

किशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति भृंगी ब्रह्मण निवासी एक मीनार मस्जिद के पास, छावनी कोटा ।

——अपीलाण्ट.

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्टस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम 1956 आदेश विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा प्रकरण संख्या 17 / 2005 निर्णय दिनांक 13.1.2006

उपस्थिति::–

1. **श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट**
2. **श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक**

निर्णय

दिनांक– 06 / 10 / 2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रामचन्द्रपुरा स्थित अपीलांट खातेदार के स्वयं के खाते की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 424 / 220 रकवा 0.48 हे0 किस्म नहरी प्रथम में अकृषि कार्य हेतु अवैध रूप से प्लॉट काट कर निमार्ण किये जाने , कृषि भूमि को अकृषि में खण्डित किये जाने से अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी के आधार पर भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 90–ए के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 17 / 2005 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 372 / – जुर्माना से दण्डित करते हुए दिनांक 13.1.2006 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की जाने पर इस न्यायालय में अपील दिनांक 9.9.2010 को पेश की जाने पर बाद सुनवाई इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.9.2015 से अपील खारिज की गई, निर्णय दिनांक 7.9.2015 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां पेश करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 15 / 590 दिनांक 21.2. 2018 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय 7.9.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।
2. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से रिमाण्ड से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया । अपीलान्ट की

ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, उपस्थित । रेस्पोडेन्ट राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 व सपठित धारा 90 ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसके खाते की विवादित आराजी में प्लॉट काटना तथा अकृषि कार्य में भूमि को लेना मानकर भूमि से बेदखल करने, तामीर ध्वस्त करने भूमि को सिवायचक घोषित करके सिवायचक राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का आदेश दिया गया है जो हर प्रकार से अवैधानिक है तथा काबिल निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने विवादित भूमि जो अपीलान्ट की कयशुदा भूमि है को अकृषि कार्य में नहीं लिया है अपीलान्ट उपरोक्त भूमि को काश्त करने के लिए काम में ही लेता है । अपीलान्ट ने मात्र उपरोक्त भूमि की सुरक्षा हेतु उक्त भूमि के चारों और बाउण्डरी वाल करवाया है तथा कृषि का सामान रखने हेतु कमरे बनाये है जिनमें वह कृषि का सामान रखता है । अपीलान्ट अपने खाते की 10 प्रतिशत भूमि को डवलपमेन्ट करने का तथा उसकी सुरक्षा करने के लिये बाउण्डरीवाल बनाने का तथा खेती का सामान आदि रखने के लिये कमरा आदि बनाने का अधिकारी है । अपीलान्ट ने 10 प्रतिशत से भी कम भूमि को उक्त कार्य के काम में लिया है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर जवाब देही करने का तथा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान न करके आदेश जेर अपील प्रदान किया है जो कि काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त किया जावें तथा उक्त प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही हेतु तहसीलदार लाडपुरा को रिमाण्ड किया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये जाकर अपीलान्ट की सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया है, जो उचित है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2006 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 09.09 2010 को पेश की गई थी जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.9. 2015 को किया जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील होने पर अपीलीय कोर्ट के आदेश दिनांक 21.2.2018 से इस न्यायालय को अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण रिमाण्ड से इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है

7. रिमाण्ड के बिन्दुओं के आधार पर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया । अपीलान्ट का मुख्य कथन यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रोपर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है एवं किसी प्रकार से अकृषि कार्य निमार्ण नहीं किया गया है, मात्र कृषि के उपकरण रखने हेतु कमरा आदि बनाया है । प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से सम्बन्धित पत्रावली प्राप्त नहीं हुई । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त Raj. Land Revenue Act, Section 90Aके सम्बन्ध RRD पेज नं0 741 पेश किया, यहां हम प्रकरण में जांच कराना उचित समझते है कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा कृषि उपयोग के अतिरिक्त भूमि पर भवन निमार्ण आदि किया है या नहीं, मौके की रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने हेतु एवं अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाकर सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस हद तक प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करें तथा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखते हुए अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा